<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 141/2007 **दायर दिनांकः 04.10.2007**

उनवान

1. जगदीश प्रसाद पुत्र हीरालाल जाति धाकड़ निवासी कंवरपुरा
2. श्यामबिहारी पुत्र हीरालाल जाति धाकड़ निवासी कंवरपुरा
3. क्लावली बाई पुत्री हीरालाल जाति धाकड़ निवासी कंवरपुरा
4. सीताबाई पुत्री हीरालाल जाति धाकड़ निवासी कंवरपुरा
5. कस्तूरी बेवा हीरालाल जाति धाकड़ निवासी कंवरपुरा तहसील अटरू जिला बारां।

वादीगण

बनाम

1. बंशीलाल (मृतक) पुत्र जयकिशन जाति धाकड निवासी कंवरपुरा

1/1 राजेश बाई बेवा बंशीलाल जाति धाकड

1/2 शोभाग पुत्र बंशीलाल जाति धाकड निवासी कंवरपुरा

1/3 योगेश पुत्र बंशीलाल जाति धाकड निवासी कंवरपुरा

1/4 संजूबाई पुत्री बंशीलाल जाति धाकड निवासी ढोलम तहसील छीपाबडोद पत्नि कमलेश

1/5 गायत्रीबाई पुत्री बंशीलाल पत्नी रामकिशनन निवासी पच्चीपाडा तह0 खानपुर

1/6 गुड्डीबाई पुत्री बंशीलाल पत्नी मुकेश जाति धाकड निवासी भुआखेडी तहसील छबडा।

2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू।

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 आर.टी.एक्ट</u>

<u>एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट</u>

उपस्थिति :—

वादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री मुकेश कुमार यादव।

प्रतिवादी :— विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल।

आदेश दिनाकः 31/03/2022

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 183, 188 आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट का इस

आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल कंवरपुरा तहसील अटरू में मुताबिक जमाबन्दी संवत 2063 से 2066 के खाता संख्या 27 की ख0नं0 260 की 0.68 है0, ख0नं0 266/309 की 1.54 है0, 295 की 1.50 है0 कुल किता 3 की 3.72 है0 आराजी वादीगण के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व में चली आ रही है। जमाबन्दी सं0 27 वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। इसी पगार प्रतिवादी क्रम 1 के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी ख0नं0 259 का रकबा 0.42 है0 आराजी हिस्से एवं काश्त में चली आ रही है। उक्त आराजीयात वादीगण की आराजी के लगवां स्थित है। वादीगण के स्वामित्व की आराजी ख0नं0 260 की 0.68 है0 तथा प्रतिवादी क्रम 1 के स्वामित्व की आराजी ख0नं0 259 की 0.42 है0 पूर्व साबिक ख0नं0 मि0 111 की 4 बीघा 8 बिस्वा से ख0नं0 260 की 0.68 है0 तथा मि0नं0 111 की 2 बीघा 18 बिस्वा से हाल ख0नं0 259 की 0.42 है0 आराजी बनी है। चूंकि वर्तमान ख0नं0 259 व 260 साबिक ख0नं0 मि0 111 से बने है सेटलमेन्ट के बाद नवीन नक्शा बनाते समय प्रतिवादी क्रम 2 के अधिनस्थ कर्मचारियों ने ख0नं0 259 व 260 के नक्शे को घटा बढा दिया जिसका नाजायज लाभ उठाते हुऐ प्रतिवादी क्रम 1 ने वादीगण के ख0नं0 260 की 0.68 है0 में से 0.08 है0 आराजी को जबरन हांक कर कब्जा कर लिया। प्रतिवादी क्रम 2 के अधिनस्थ कर्मचारियों की गफलत एवं लापरवाही पूर्ण किये गये नये नक्शे को छोटा बढा कर देने से उसका नाजायज लाभ उठाते हुऐ प्रतिवादी क्रम 1 न 0.08 है0 आराजी पर जबरन कब्जा कर लिया जिसका उसे कोई कानूनी अधिकार प्रापत नहीं है वादीगण द्वारा कब्जा करने से मना करने पर लडाई झगडा करने पर आमादा हुआ। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादीगण द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना संभव नहीं है यदि प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा वादीगण के स्वामित्व की 0.08 है0 आराजी पर जबरन कब्जा बनाये रखा तो वादीगण की आराजी में प्राप्त चले आ रहे अधिकारों से वंचित होना पडेगा तथा अनेकानेक वाद विवादों मे उलझना पडेगा। अतः वादी प्रतिवादी क्रम 1 को 0.08 है0 आराजी पर से बेदखल करवा कर पुनः कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है तथा पुराने नक्शे के मुताबिक नवीन नक्शे को दुरूस्त करवा कर प्रतिवादी क्रम 1 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने के अधिकारी है कि वह वादीगण के स्वामित्व की आराजी ख0नं0 260 का रकबा 0.68 है0 पर जबरन कब्जा न तो स्वयं करें न ही ऐसा कृत्य अपने प्रतिनिधियों द्वारा करावे। वाद कारण प्रथम बार प्रतिवादी क्रम 2 के अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा नक्शे को छोटा बढा करने पर तथा दिनांक 05.06.2007 को हल्का पटवारी द्वारा पेमाईश कर सीमा ज्ञान के आधार पर प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा 0.08

है0 आराजी पर जबरन कब्जा करने पर अन्तिम बार माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी एवं पक्षकारान ग्राम कंवरपुरा तहसील अटरू जिला बारां में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ठ के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की पारित की जावे–

(अ) साबिक ख0नं0 मि0 111 के नक्शे के मुताबिक नवीन ख0नं0 259 व 260 के नक्शे को दुरूस्त कर मुताबिक रकबा नवीन नक्शा बनाया जावे। इस हेतु प्रतिवादी क्रम 2 को आदेश प्रदान किया जावे।

(ब) प्रतिवादी क्रम 1 को वादीगण के स्वामित्व की आराजी ख0नं0 260 का रकबा 0.68 है0 में से 0.08 है0 पर से बेदखल किया जाकर पुनः कब्जा वादीगण को दिलाया जावे तथा प्रतिवादी क्रम 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह बाद बेदखली वादीगण के स्वामित्व की आराजी ख0नं0 260 का रकबा 0.68 है0 के किसी भी हिस्से पर जबरन कब्जा न तो स्वयं करें न ही ऐसा कृत्य अपने प्रतिनिधियों द्वारा करावे।

(स) वाद व्यय एवं अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान की जावे।

2 प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित तथ्यों की जानकारी नहीं होने से स्वीकार नहीं है। वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित तथ्य ख0नं0 259 रकबा 0.42 है0 भूमि प्रतिवादी के स्वामित्व हिस्से एवं काश्त में होना स्वीकार है , शेष विवरण जानकारी नहीं होने से स्वीकार नहीं है। वाद पत्र की मद नं0 3 में वर्णित तथ्यों की जानकारी नहीं हो से तथा गलत अंकित किये जाने से स्वीकार नहीं है। वाद पत्र की मद नं0 4 में वर्णित तथ्या गतल लिखे होने से स्वीकार नहीं है। प्रतिवादी का स्वयं के स्वामित्व, हिस्से एवं काश्त की ख0नं0 259 रकबा 0.42 है0 भूमि पर ही कब्जा चला आ रहा है। वाद पत्र की मद नं0 5 में वर्णित तथ्य

गलत लिखे जाने से स्वीकार नहीं है। वाद पत्र की मद नं0 6 में वर्णित तथ्य गलत लिखे जाने से स्वीकार नहीं है। वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ। वाद पत्र की मद नं0 7 में वर्णित तथ्य कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 8 में वर्णित तथ्य कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 9 में वर्णित तथ्य कानूनी है। प्रार्थना वादी स्वीका नहीं है।

विशेष–विवरण

प्रतिवादी का सेटलमेन्ट से पूर्व जितनी भूमि पर कब्जा चला आ रहा था उतनी भूमि पर ही सेटलमेन्ट के बाद से कब्जा चला आ रहा है। वादी के मन में बदयान्ति आ जाने से मौके की पैमाईश करके दिनांक 05.06.07 को वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 को सीमाज्ञान क अनुसार प्रतिवादी का पूर्व से चला आ रहा कब्जे पर ही कब्जा माना गया था तथा नक्शे को न तो घटाया और न ही बढाया गया है। वादीगण ने मनघढन्त तथ्यों पर वाद प्रस्तुत किया है। जो काबिल खारिज है। धारा 136 एल.आर. एक्ट के प्रावधान नक्शे दुस्ती पर लागू नहीं होने से वाद एवं प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज होने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय में जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

3. दावे व जवाब दावे के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की जाती हैः–

तनकी नं0 1– आया वादी साबिक ख0नं0 111 के नक्शों के अनुसार नवीन ख0नं0 259 व 260 के नक्शों को दुरूस्त करवाने का अधिकारी है।

वादीगण

तनकी नं0 2– आया वादीगण ख0नं0 260 रकबा 0.08 है0 भूमि से प्रतिवादी क्रम 1 को बेदखल करवाकर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है।

वादीगण

तनकी नं0 3– आया नक्शे दुरूस्ती पर 136 एल.आर. एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होने से वादी का वाद खारिज होने योग्य है।

प्रतिवादीगण

तनकी नं0 4– अनुतोष क्या होगा

4. साक्ष्यवादी के तहत PW1 जगदीश पुत्र हीरालाल तथा pw2 श्यामबिहारी पुत्र हीरालाल के शपथ पत्र पेश किया गया और रिकार्ड प्रदर्शित करवाया गया। अभिभाषक प्रतिवादीगण द्वारा

जिरह की गई। साक्ष्यप्रतिवादी हेतु करीब 6 अवसर प्रदान किये गये लेकिन साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं किये जाने से साक्ष्यप्रतिवादी बन्द किये गये।

5. अभिभाषक वादीगण एवं अभिभाषक प्रतिवादीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण का तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार किया जाता है–

तनकी नं0 1– आया वादी साबिक ख0नं0 111 के नक्शों के अनुसार नवीन ख0नं0 259 व 260 के नक्शों को दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा पेश ग्राम कंवरपुरा की जमाबन्दी संवत् 2063–66 (प्रदर्श 1), नजरी नक्शा ट्रेस (प्रदर्श 2), संवत् 2012 सन 1955 के साबिक ख0नं0 111 के नजरी नक्शे (प्रदर्श 3), भू प्रंबंध विभाग के मिलान क्षेत्रफल (प्रदर्श 4), ग्राम कंवरपुरा की जमाबन्दी संवत 2039 से 2042 (प्रदर्श 6), एवं मौका रिपोर्ट (प्रदर्श 5) के आधार पर स्पष्ट है कि सेटलमेन्ट से पूर्व वादीगण के ख0नं0 111 मि0 का रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा था जिसका सेटलमेन्ट के बाद रकबा 0.71 है0 दर्ज होना चाहिए था जबकि सेटलमेन्ट विभाग द्वारा हिस्सा नवीन ख0नं0 259 रकबा 0.68 है0 दर्ज किया है। इस प्रकार सेटलमेन्ट विभाग द्वारा बिना किसी उचित कारण के वादीगण के खाते दर्ज भूमि ख0नं0 259 का रकबा 0.03 है0 कम दर्ज किया है। प्रतिवादीगण का सेटलमेन्ट से पूर्व रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा था जिसे सेटलमेन्ट विभाग द्वारा हिस्सा नवीन ख0नं0 260 रकबा 0.42 है0 दर्ज किया है। इस प्रकार सेटलमेन्ट विभाग द्वारा बिना किसी उचित कारण के प्रतिवादीगण के खाते दर्ज भूमि ख0नं0 260 का रकबा भी 0.04 है0 कम दर्ज किया है। अतः उक्त दस्तावेजों के आधार पर यह तो स्पष्ट है कि सेटलमेन्ट विभाग द्वारा सेटलमेन्ट के दौरान वादी एवं प्रतिवादी दोनों के रकबे बिना किसी उचित कारण के कम दर्ज कर दिये है लेकिन वादी द्वारा कोई भी ऐसा दस्तावेज/रिकार्ड पेश नहीं किया है जो यह सिद्ध कर सके की सेटलमेन्ट विभाग द्वारा वादीगण का जितना रकबा कम किया है वह किस नवीन ख0नं0 में बढाया गया है। इसी प्रकार राजस्व नक्शे में दुरूस्ती राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत न होकर धारा 131 के अधीन की जाती है। अतः साक्ष्य के अभाव में तनकी नं0 1 खारिज की जाती है।

तनकी नं0 2– आया वादीगण ख0नं0 260 रकबा 0.08 है0 भूमि से प्रतिवादी क्रम 1 को बेदखल करवाकर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। यह तो स्पष्ट है कि सेटलमेन्ट विभाग के कार्मिकों द्वारा सेटलमेन्ट के दोरान वादीगण के

नवीन खसरे 259 के रकबे में 0.03 है0 की और प्रतिवादीगण के खसरे 260 के रकबे में 0.04 है0 की कमी दर्ज की है लेकिन सेटलमेन्ट के बाद वादीगण के खसरे नं0 259 रकबा 0.68 है0 में से 0.08 है0 हिस्से पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा किया हुआ है यह प्रतिवादीगण क्रम 2 के सीमाज्ञान एवं मौका रिपोर्ट के आधार पर ही तय किया जा सकता है। पत्रावली में संलग्न पटवारी की मौका रिपोर्ट (प्रदर्श 5) के आधार पर उक्त कब्जे के बारे में निर्णय नहीं किया जा सकता है। यदि वादी की भूमि के 0.08 है0 हिस्से पर प्रतिवादी द्वारा कब्जा कर रखा है तो प्रतिवादी बेदखल योग्य होगा। प्रतिवादीगण को वादीगण की भूमि पर बिना किसी कानूनी आदेश के कब्जा करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। अतः तनकी नं0 2 आंशिकतः वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 3– आया नक्शे दुरूस्ती पर 136 एल.आर. एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होने से वादीगण का वाद खारिज होने योग्य है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। नक्शे में किसी भी प्रकार की त्रुटि को दुरूस्त करने के लिए वादीगण को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 में प्रार्थना पत्र करना चाहिए। इस अधिनियम की धारा 136 के अधीन नक्शे में शुद्धी नहीं की जा सकती है। अतः तनकी नं0 3 प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

5- उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी क्रम 2 तहसीलदार अटरू को आदेशित किया जाता है कि वह आदेश प्राप्ती के एक माह के अन्दर वादी के ग्राम कंवरपुरा के ख0नं0 259 रकबा 0.68 है0 भूमि का सीमाज्ञान करें और यदि प्रतिवादी द्वारा कब्जा किया हुआ है तो उसे तुरन्त वादी की भूमि से बेदखल करें। प्रतिवादी 1/1 से 1/6 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के ग्राम कवरपुरा के ख0नं0 259 रकबा 0.68 है0 भूमि कब्जा नहीं करें और यदि कब्जा कर रखा है तो तुरन्त कब्जा छोडे।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)
प्रकरण सं0 141/2007

उनवान

1. जगदीश प्रसाद पुत्र हीरालाल जाति धाकड़ निवासी कंवरपुरा
2. श्यामबिहारी पुत्र हीरालाल जाति धाकड़ निवासी कंवरपुरा
3. क्लावली बाई पुत्री हीरालाल जाति धाकड़ निवासी कंवरपुरा
4. सीताबाई पुत्री हीरालाल जाति धाकड़ निवासी कंवरपुरा
5. कस्तूरी बेवा हीरालाल जाति धाकड़ निवासी कंवरपुरा तहसील अटरू जिला बारां।

वादीगण

बनाम

1. बंशीलाल (मृतक) पुत्र जयकिशन जाति धाकड निवासी कंवरपुरा

1/1 राजेश बाई बेवा बंशीलाल जाति धाकड

1/2 शोभाग पुत्र बंशीलाल जाति धाकड निवासी कंवरपुरा

1/3 योगेश पुत्र बंशीलाल जाति धाकड निवासी कंवरपुरा

1/4 संजूबाई पुत्री बंशीलाल जाति धाकड निवासी ढोलम तहसील छीपाबडोद पत्नि कमलेश

1/5 गायत्रीबाई पुत्री बंशीलाल पत्नी रामकिशनन निवासी पच्चीपाडा तह0 खानपुर

1/6 गुड्डीबाई पुत्री बंशीलाल पत्नी मुकेश जाति धाकड निवासी भुआखेडी तहसील छबडा।

2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 आर.टी.एक्ट

एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....X..... रूबरू.....X.....
बहाजिर :–
वादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री मुकेश कुमार यादव।
प्रतिवादी :– विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल।
मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....
मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी कम 2 तहसीलदार अटरू को आदेशित किया जाता है कि वह आदेश प्राप्ती के एक माह के अन्दर वादी के ग्राम कंवरपुरा के ख0नं0 259 रकबा 0.68 है0 भूमि का सीमाज्ञान करें और यदि प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा किया हुआ है तो उसे तुरन्त वादी की भूमि से बेदखल करें। प्रतिवादीगण 1/1 से 1/6 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के ग्राम कवरपुरा के ख0नं0 259 रकबा 0.68 है0 भूमि कब्जा नहीं करें और यदि कब्जा कर रखा है तो तुरन्त कब्जा छोडे।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X..... .....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक **31.03.2022** को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)